

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2014—पौष 20, शक 1935

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)

कुछ नहीं

भाग ४ (ख)

कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्र. एफ 03-4-2013-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार

1. प्रस्तावना एवं उद्देश्य:- हमारे संविधान में महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से शिक्षा और आजीविका प्राप्त करने, स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, आत्मरक्षा करने, आत्म सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया है। किंतु कई बार अपराधिक और असामाजिक तत्वों की हरकतों से महिलाओं की गरिमा और अस्मिता को आघात पहुंचता है। अनेक महिलाएँ इन तत्वों के कारण शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो जाती हैं, उन्हें अपमान जनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। आसपास के समाज के लोग जो उनके बचाव में तुरंत सहायता के लिए आगे आते हैं उन्हें कोई प्रोत्साहन, राहत व सहयोग नहीं मिलता, उनके ऐसे कार्य अधिकतर अनदेखे, अनजाने व अनचीन्हें रह जाते हैं।

इसलिये राज्य सरकार की ऐसी सोच है कि अपराधिक और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध साहस का प्रदर्शन कर अपने आप का या अन्य किसी का बचाव करने वाली महिला या इन तत्वों से महिलाओं का बचाव करने वाले पुरुषों को भी सम्मानित किया जाये ताकि अन्य महिलाओं को भी अपनी अस्मिता और आत्मरक्षा के लिए समुचित कदम उठाने की प्रेरणा मिल सके और ऐसे तत्वों के हौसले परत हो सकें। इसी सोच को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रदेश सरकार ने निम्न पुरस्कार योजना शुरू करने का निश्चय किया है। इस योजना का उद्देश्य असामाजिक तत्वों की महिला विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाना, महिलाओं में साहस का संचार करना, महिला/पुरुष द्वारा किये गये कार्यों की सराहना करना और समाज के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है ताकि अन्य महिलाओं /पुरुषों को इससे प्रेरणा मिल सके।

2. शीर्षक:- यह नियम 'मुख्यमंत्री' नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार नियम 2012-13 कहलाएंगे और म.प्र. राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होंगे।

3. प्रात्रता:- घटना जिसमें किसी महिला द्वारा अपराधिक या असामाजिक तत्वों के विरुद्ध साहस का प्रदर्शन कर अपने आप का या अन्य किसी महिला का बचाव एवं ऐसे पुरुष जिन्होंने इन तत्वों से महिलाओं के बचाव हेतु अवर्णनीय साहसिक कार्य किया हो। घटना प्रदेश में ही 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के बीच घटित हुई हो।

4. विस्तार क्षेत्र:- यह सम्मान व्यक्ति (महिला/पुरुष) द्वारा मध्य प्रदेश में व्यक्ति/किसी भी समुदाय के लिए किए गए साहसिक कार्यों हेतु दिया जायेगा।

5. सम्मान का स्वरूप:- यह योजना “मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार योजना” कहलायेगी। अपराधिक या असामाजिक तत्वों के विरुद्ध साहस का प्रदर्शन कर अपने आप का या किसी अन्य का बचाव करने वाली महिलाओं या महिलाओं का ऐसे तत्वों से बचाव करने वाले पुरुषों को “मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार” से सम्मानित किया जायेगा। यह पुरस्कार प्रदेश स्तर पर एक लाख व जिला स्तर पर पचास हजार रुपये का होगा। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष राज्य स्तर पर प्रदेश की किन्हीं दो चयनित महिला और दो पुरुष को तथा जिला स्तर पर चयनित एक महिला व एक पुरुष को सम्मानित किया जायेगा।

6. चयन समिति का गठन:- प्रत्येक वर्ष पुरस्कारों के लिए चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया जायेगा:-

6.1 राज्य स्तर पर:- विभागीय मंत्री के आदेश से दो समाज सेवी महिलाओं एवं तीन शासकीय सदस्यों को शामिल कर चयन समिति का गठन किया जावेगा।

6.2 जिला स्तर पर:- जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से दो समाज सेवी महिलाओं एवं तीन शासकीय सदस्यों को शामिल कर चयन समिति का गठन किया जायेगा।

7. चयन समिति की शक्तियाँ:-

- राज्य स्तर पर चयन समिति द्वारा किये गए चयन पर राज्य शासन एवं जिला स्तर पर किए गए चयन पर प्रभारी मंत्री विचार करेंगे।
- पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।
- प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए राज्य स्तर पर दो महिला एवं दो पुरुष का तथा जिला स्तर पर एक महिला एवं एक पुरुष का चयन किया जायेगा।
- चयन समिति की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी उसके द्वारा लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुये विचार विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जायेगा।
- चयन समिति के माननीय अशासकीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिये आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड ए के समकक्ष रेल यात्रा की श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा।

8. **चयन की प्रक्रिया:**-पुरस्कारों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों(महिलाओं/पुरुषों) के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:-

- 8.1 जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना उस वर्ष राज्य एवं जिला स्तर की प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक/आयुक्त संचालनालय महिला सशक्तिकरण महिला एवं बाल विकास की ओर से प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर एवं दिसम्बर में प्रमुख प्रदेशिक समाचार पत्रों /इलेक्ट्रानिक मीडिया में राज्य शासन की ओर से विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। प्रविष्टियां 10 जनवरी तक प्राप्त की जाएंगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जाएंगी परन्तु विज्ञप्ति जाहिर करने आदि के समय में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा।
- 8.2 प्रविष्टि उपरोक्तानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्ति से सुपरिचित व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए संचालक/आयुक्त, महिला सशक्तिकरण की ओर एवं जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए कलेक्टर को निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत कर सकेंगे
 - 8.2.1 साहस पूर्ण कृत्य करने वाली महिला अथवा पुरुष का पूर्ण परिचय
 - 8.2.2 संबंधित घटना का पूर्ण विवरण।
 - 8.2.3 प्रमाण स्वरूप अखबार की कतरन /छायाचित्र/एफ.आई.आर हुई हो तो उसकी प्रति।
 - 8.2.4 यदि अन्य कोई साहसिक कार्य किया गया हो तो उसका विवरण।
 - 8.2.5 चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में संबंधित महिला/पुरुष की सहमति।
- 8.3 चयन के लिए योजना में निर्दिष्ट मापदंडों के अलावा कोई शर्तें लागू नहीं होगी।
 - 8.3.1 एक बार प्रस्तुत प्रविष्टियां एक बार के लिए विचारणीय होगी।
 - 8.3.2 राज्य स्तरीय अथवा जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए अलग-अलग प्रविष्टि भेजनी होगी। जिस पर स्पष्ट तौर पर लिखा जाना होगा "राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए" अथवा "जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए"।
- 8.4 प्रविष्टि में अन्तर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- 8.5 प्रविष्टि में दिए गए तथ्यों /निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रस्तुतकर्ता का रहेगा, इस संबंध में राज्य शासन / जिला प्रशासन को यह अधिकार होगा कि जहाँ वह आवश्यक समझे अपने सूत्रों से दिए गए तथ्यों / निष्कर्षों/प्रमाणों की पुष्टी कर सकें।
- 8.6 निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को प्राप्ति के एक सप्ताह की अवधि में संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जायेगा।

प्रपत्र

पंजीयन क्रमांक	साहसिक कृत्य करने वाले व्यक्ति(महिला/पुरुष) का नाम	प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का नाम एवं पता	प्राप्त कागजातों की कुल पृष्ठ संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5

8.7.पंजीयन के बाद राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिएसंचालक/आयुक्त महिला सशक्तिकरण और जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए जिला अधिकारी महिला बाल विकास विभाग द्वारा 10 दिन की समयावधि में तैयार कर राज्य शासन /जिला कलेक्टर को निम्नांकित शीर्षक में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में चयन समिति की बैठक के लिए संक्षेपिका अधिकतम 10 दिवस की समयावधि में तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी :-

- साहसपूर्ण कृत्य करने वाली महिला/पुरुष का नाम तथा पता
- उपरोक्त का संक्षिप्त परिचय
- साहसिक कार्य /घटना का विवरण
- प्राप्त पुरस्कार /सम्मान
- प्रमाण -सम्मितियां
- प्रकाशन
- पुरस्कार ग्रहण करने बावत् सहमति

8.8 चयनित व्यक्ति को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जायेगा विशेष परिस्थितियों में वे अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ ला सकेगें जिन्हें उन्हीं के साथ यात्रा करने और ठहरने की सुविधा प्राप्त होगी, किन्तु उन्हें यात्रा भत्तादेय के अलावा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा। चयनित व्यक्ति को रेलगाड़ी में शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष यात्रा की पात्रता होगी एवं प्रथम श्रेणी अधिकारी 'ए' ग्रेड के समान यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी।

9. **चयन मापदंड:-** पुरस्कार के लिए साहसी महिला/पुरुष के चयन हेतु निम्न मापदंड रहेंगें:-

9.1.संबंधित साहसिक घटना मध्य प्रदेश राज्य में 1 जनवरी से 31 दिसम्बर में घटित हुई हो।

9.2.चयन समिति के अशासकीय सदस्य स्वयं अपने लिए उस वर्ष के पुरस्कार के लिए प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेगें जिस वर्ष वे इसके सदस्य हैं।

9.3.इस पुरस्कार के अलावा अन्य कोई पुरस्कार प्राप्त साहसी महिला / पुरुष भी पुरस्कार के लिए प्रविष्टि भेजने के पात्र होंगें।

10. सम्मान की घोषणा:-चयन समिति द्वारा जिन व्यक्ति/व्यक्तियों का चयन होगा उनके बारे में राज्य स्तरीय पुरस्कारों हेतु राज्य शासन तथा जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री से निर्धारित समयावधि में औपचारिक सहमति प्राप्त की जाएगी। उनसे सहमति प्राप्त होने के बाद राज्य शासन जिला प्रशासन के द्वारा पुरस्कार के लिए व्यक्ति के नाम की औपचारिक घोषणा प्रतिवर्ष 20 जनवरी को (अवकाश होने पर अगले कार्यकारी दिवस) पर की जायेगी एवं पुरस्कार का वितरण 26 जनवरी को किया जायेगा।
11. अलंकरण समारोह:- यह सम्मान प्रतिवर्ष घोषणा अनुसार अलंकरण समारोह में प्रदान किया जायेगा। अलंकरण समारोह की तिथि एवं स्थान शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जायेगा।
12. वित्तीय प्रावधान एवं शक्तियों:-सम्मान प्रक्रिया, चयन समितियों की बैठको का व्यय एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति बजट में प्रतिवर्ष वित्तीय प्रावधान रखा जायेगा।
13. नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन:-राज्य शासन महिला एवं बाल विकास विभाग को इन नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास की व्याख्या अधिकृत एवं अंतिम मानी जायेगी, ऐसे मामले जिनका योजना/नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव /सचिव, म.प्र.शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग में वेष्टित होंगे।
14. पुरस्कार से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव:-राज्य स्तरीय पुरस्कारों के मामले में आयुक्त महिला सशक्तिकरण म.प्र. एवं जिला स्तरीय पुरस्कारों के मामले में जिला अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग प्रतिवर्ष के पुरस्कार की प्रविष्टियों, चयनित व्यक्तियों (महिला/पुरुष) आदि का रिकार्ड एक अलग अलग जिल्द में संधारित करेंगे, चयनित व्यक्ति के कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक विवरणिका जारी की जायेगी जिसमें इस पुरस्कार का स्वरूप तथा पुरस्कार प्राप्त महिला/पुरुष का अद्यतन विवरण दिया जायेगा।
15. पुरस्कार की घोषणा एवं वितरण:-चयन समिति द्वारा जिन व्यक्ति/व्यक्तियों का चयन होगा उनके बारे में राज्य स्तरीय पुरस्कारों हेतु राज्य शासन तथा जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री से निर्धारित समयावधि में औपचारिक सहमति प्राप्त की जाएगी। उनसे सहमति प्राप्त होने के बाद राज्य शासन जिला प्रशासन के द्वारा पुरस्कार के लिए व्यक्ति के नाम की औपचारिक घोषणा प्रतिवर्ष 20 जनवरी को (अवकाश होने पर अगले कार्यकारी दिवस) पर की जायेगी एवं पुरस्कार का वितरण 26 जनवरी को किया जायेगा।

16. व्यय की सम्पूर्ति एवं वित्तीय शक्तियाँ :- इस राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु बजट में प्रतिवर्ष समुचित प्रावधान रखा जायेगा एवं स्वीकृत मद पर व्यय के पूर्ण अधिकार राज्य स्तरीय समारोह हेतु आयुक्त महिला सशक्तिकरण तथा जिला स्तरीय समारोह हेतु कलेक्टर को होंगे, इस हेतु राज्य शासन की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी ।

No. - F 03-4/2013/50 -2: The State Government herewith makes the following rules for the Chief Minister's Protection of Women's Honour Award.

Chief Minister's Award for Protection of Women's Honour

1. **Preface and Objectives:** - Our Constitution has given equal right to the women and men to get education and acquire livelihood, freedom of movement, express one's thought, self defence and to lead a life of honour and dignity. However, many times women's honour as well her self-esteem is hurt due to the actions of the criminals and anti social elements. They become victims to such physical and mental torture which leads them to humiliating situations. Those people living in the community or neighborhood who come forward to render help are not provided with any kind of reward, relief or support. Most of the times such acts go unnoticed, unknown and unmarked.

Therefore the state government is of the view that such woman who shows courage to face the criminal and anti social elements and protects herself or any other women or even such man who protects women from these elements must be rewarded so that other women are motivated to protect their self esteem and take appropriate initiatives for self defence and are able to demoralize such elements. In order to put this idea into practice, State Government has decided to implement this award - scheme. The objective of this scheme is to bring under control the anti women activities of the anti social elements, to fill up courage in women, to recognize the act of courage demonstrated by the woman/man and to exhibit it before the society as an example so that other women and men are motivated by it.

2. **Title:** - These rules shall be known as the "Chief Minister's Award for Protection of Women's Honour Rules" and shall become effective from the date of their publication in the M.P. Gazette Notification.

3. **Eligibility:** - An incident in which woman by showing courage against the anti social elements was able to protect her or any other woman and such man who have performed creditable act to protect women from such elements. The incident should have happened within the state boundary in between January 1st to December 31st.
4. **Scope:** - The award will be given to an individual (woman/man) for undertaking the act of bravery individually or for a community as a whole.
5. **Structure of the Honour:** - This scheme will be known as the "Chief Minister's Award for Protection of Women's Honour Scheme". The award under this scheme will be given to any woman for showing courage against the anti social elements and being able to protect her or any other women and to such men who have performed creditable act to protect women from such elements. This award will comprise Rs One lakh at the state level and Rs Fifty thousand at the District level. Under this scheme two women and two men at state level and one woman and one man at district level will be short listed and awarded.
6. **Formation of the Selection Committee:** - Every year for the purpose of selection of the awardees a selection committee will be formed as under:
 - 6.1 **At State Level:** - The Selection Committee will be formed comprising of two female social workers and three government officials by the Minister for Women and Child Development Department, Madhya Pradesh.
 - 6.2 **At District Level:** - The District Collector with the approval of the Minister In charge will form the Selection Committee comprising two female social workers and three government officials.
7. **Powers of the Selection Committee:** -
 - The State Government shall be considering the selection to be made at state level while the Minister In-charge will consider the selections at the District level.
 - Objections and Appeals against the selections made for the award will not entertained.

- Every year two female and two male at state level and one female and one male at the district level will be selected.
 - The entire proceedings of the selection committee meeting will be confidential. Other than the written recommendations no minutes or recordings of the discussions held during the meeting will be maintained.
 - The honorary non government members of the Selection Committee on being invited for the selection process will be entitled for the Rail Travel and Dearness Allowance at par with the State's Senior Official Grade A.
8. **Selection Process:** - The selection process of the suitable individuals (women/men) for award shall be based on the following: -
- 8.1 In order to invite entries for the year in which the award is to be given the Commissioner / Director, Women Empowerment, Women and Child development Department shall on behalf of the State Government advertise through the Major Regional News Papers and electronic media in the month of November and December. The last date for the receipt of the entries shall be 10th of January. Entries received after the assigned date will not be entitled for consideration. However the State Government may, as per necessity modify the dates of Advertisement etc.
- 8.2 Entries of the eligible persons as per the eligibility criteria can be made either by any individual or organization who has close proximity to the persons nominated by them for the selection process to the Commissioner / Director, Women Empowerment for the State Level Award and to the Collector for the District Level Award. Such entries should contain the following details while being presented for consideration.
- 8.2.1 Complete profile/introduction of the Woman/Man who has performed the act of courage/bravery.
- 8.2.2 *Complete details of the concerning incident.*
- 8.2.3 News paper cuttings/photocopies of the cuttings/copy of the FIR if available for evidence.
- 8.2.4 Details of any other similar act of bravery performed by the concerned individual.
- 8.2.5 Consent of persons (female/male) for accepting the reward if selected.

8.3 No other conditions other than the criteria mentioned in the scheme will be applicable for selection.

8.3.1 Entries presented one time will be eligible for consideration only once.

8.3.2 Separate entries should be sent for the State Level Award and District level Award. Such entries should specifically mention atop "For the State Level Award" and "For the District Level Award".

8.4 Apart from the details/facts incorporated in the Entry made no other information sent later through post or any other medium for the award will be considered.

8.5 The absolute responsibility of the facts/conclusions/evidence given in the entry will be that of the presenter. In this regard the state government/district administration where it considers necessary will have the right to crosscheck the facts/conclusions/evidences through its own source and verify it.

8.6 All the entries received within the stipulated date will be registered as per the format given below in the Registration Register of the Award Year within one week from the date of its receipt.

FORMAT

Registration No.	Name of the individual (female/male) who undertook the Act of Bravery	Name and Address of the individual or organization who has submitted the entry	Total No. of pages in the Document Received	Any other Details
1	2	3	4	5

8.7 After the registration, for the State Level Award, the Commissioner / Director and for the District Level Award the District Officer Women and Child development Department shall within the period of 10 days prepare and present to the State Government / District Collector a summary of the entries received for the Selection Committee meeting on the basis of the headings given below.

- Name and Address of person (Female/Male) who has performed the Act of Bravery.
- A brief introduction of the person stated above.
- Details of the Act of bravery / incident.
- A list of the awards and rewards received by the person till date.
- List of evidences produced.
- Publications.
- Consent Letter expressing willingness to accept the award if selected.

8.8 Selected persons shall be invited as the State Guest and under special circumstances they can bring along one attendant who will be provided the facility of travelling and co accommodation with the selected person. They will not, however be entitled for any other allowances apart from the travel allowances. The selected persons will be eligible to travel by train at par with the travelling provisions for the Senior Government Officials Grade A and will be eligible to receive the Travel Allowances similar to that of Class - I Government Official Grade A.

9. **Criterion for Selection:** - For the purpose of selecting brave women and men for the Award the following criterion shall be followed.

9.1 Concerned Act of bravery should have occurred in the state of Madhya Pradesh in between the dates January 1st and December 31st.

9.2 The non government members in the Selection Committee are barred from sending their entries for Award in which they are members.

9.3 Any brave woman / man who have received any other Award other than this award are also eligible to send entries for this award.

10. **Declaration of the Reward:** - Formal approval from the State Government for the State Level Award and from the Minister In -charge for the District Level Award will be obtained for the person/persons recommended for the award by the Selection Committee. Having obtained their approval, the State Government and District Administration will make Formal Declaration of the persons selected for the State Level Award and District Level Award respectively on January 20th every year (in the event of a holiday on the said date it will be made on the next immediate working day) and the award shall be distributed on 26th January every year.
11. **Felicitation Ceremony:** - This award as declared shall be presented in a felicitation Ceremony. The date and venue for the felicitation ceremony shall be decided by the government every year.
12. **Financial Provisions and Power:** - To meet the expenses incurred for the process involved for the award, meetings of the selection committee and felicitation ceremony, provision will be made every year in the Annual Budget.
13. **Amendment and Changes in the rule:** - Women and Child Development Department of the State government shall have the power to bring in amendments and changes in these rules. The interpretation made by the Principal Secretary, Women and Child Development Department regarding the inherent provisions of the rules shall be ultimate and final. The right to resolve the issues and matters of dispute not mentioned in the scheme / rules above, shall rest with the Principal Secretary / Secretary Madhya Pradesh Government, Women and Child Development department.
14. **Maintenance of Records concerning the Award:** - With respect to matters related to State Level Award, the Commissioner, Women Empowerment, Madhya Pradesh and for the District Level Award, the District Officer, Women and Child Development department shall ensure that every year a folded record of entries received and selected candidates is maintained separately and put together into one folder. Along with it a handout should be prepared for distributing it on the occasion of the award ceremony containing the details of the selected candidate's act of bravery along with the nature of the award received by them.

15. **Declaration and distribution of the Award:** - A formal approval of the person/persons selected by the selection committee will be obtained from the State Government for the State Level award and from the Minister In-charge for the District Level Award within the stipulated time. After having obtained the approval from State Government / District Administration every year the names of the Awardees shall be declared on January 20th (in case of holiday the next immediate working day). The Award Distribution will take place on 26th January every year.
- 16 **Regulating the Expenses and Financial Powers:** - Sufficient provisions will be made every year in the Annual Budget in order to meet the expenses incurred for the State Level and District Level Award and also for meeting the expenses related to the felicitation ceremony. The powers of expenditure according to the approved budget will lie with the Commissioner, Women Empowerment, for State Level Ceremony and with the Collector for the District Level Ceremony and no formal approval from the State Government will be necessary.

बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.